मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

(ए–57/रासूआ/50–2/इन्दौर/2006)

श्री दिलीप सिंह, — अपीलकर्ता

615, नन्दा नगर स्टेडियम ग्राउण्ड,

जनता क्वार्टस, इन्दौर

विरूद्ध

नगर निगम आयुक्त, — अपीलीय अधिकारी

नगर निगम,

इन्दौर

आदेश

(दिनांक 21.06.06)

श्री दिलीप सिंह ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलकर्ता ने दिनांक 31.10.05 को नगर पालिक निगम, इन्दौर के लोक सूचना अधिकारी को एक आवेदन पत्र देकर निम्नलिखित जानकारी मांगी थी :–

1. प्रार्थी की दुकान क0 25–ए, नन्दानगर स्टेडियम ग्राउण्ड, इन्दौर, नगर निगम की भूमि पर स्थित है, उक्त दुकान लीजरेन्ट निगम क्यों नहीं ले रहा है, इसकी सूचना एवं प्रमाणिक सत्यप्रतिलिपि देने बाबत् ।

2. नगर निगम के कौन अधिकारी एवं कर्मचारी इसके लिये, अधिकृत थे और है उनके पद एवं नाम की सूचना की प्रमाणिक सत्य प्रतिलिपि सहित ।

3. नगर निगम के अधिकारियों के इस आचरण से नगर निगम को कितना लाभ एवं हानि हुई है, इसकी सूचना सहित।

4. म0प्र0 उच्च न्यायालयों के आदेशों पर इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है, और कब तक चलती रहेगी इसकी सूचना।

5. क्या अधिकारीगण उच्च न्यायालयों के आदेशों के पालन नहीं करने के दोषी हैं, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है या कब तक की जा सकेगी इसकी सूचना सहित।

6. क्या उक्त कार्य अवैध प्रतिफल प्राप्त करने की प्रत्याशा नहीं माना जाएगा, अगर माना जायेगा तो अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई इसकी सूचना ।

7. मुझे नगर निगम के चक्कर लगवाने एवं मानसिक पीड़ा पहुंचाने के दोषी यह अधिकारी है या नहीं, यदि हैं तो क्या कार्यवाही की गई है, और क्या की जा रही है, इसकी प्रमाणित सूचना की सत्यप्रतिलिपि सहित ।

8. मेरी उक्त दुकान का लीज एग्रीमेन्ट नगर निगम कब तथा किस दर पर करेगा, इसकी सूचना की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि प्रदान करने बाबत्।

2. इस आवेदन पत्र पर दिनांक 01.12.05 को नगर शिल्प, नगर पालिक निगम, इन्दौर ने एक पत्र लोक सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, इन्दौर को लिखा था। जिसकी एक प्रति अपीलकर्ता को उप यंत्री द्वारा भेजी गई है। इस पत्र में नगर शिल्प ने लोक सूचना अधिकारी को सूचित किया था कि यह जानकारी माल विभाग से प्राप्त करना चाहिए । इस पत्र का जो पृष्ठाकन अपीलकर्ता को दिया गया है उसमें यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन आगामी कार्यवाही हेतु मार्केटिंग विभाग को भेजा गया है । अतः आगामी कार्यवाही के लिये मार्केटिंग विभाग से सम्पर्क करें ।

3. इस कृत्य से उत्पीड़ित होकर अपीलकर्ता ने एक अपील, अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की थी । इस अपील का निराकरण अधिनियम की धारा 19(2) के अन्तर्गत निर्धारित समय में नहीं होने के कारण उन्होंने यह अपील राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की है। इस प्रकरण में आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी से अपील के बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांगा गया था । लोक सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम से यह प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हैं । लोक सूचना अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि अपीलकर्ता को यह सूचना दी गई थी कि इस प्रकार के प्रकरणों का निराकरण माल विभाग (मार्केट विभाग) से आवेदन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें। अपीलकर्ता ने इस सूचना के उपरान्त सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क नहीं करते हुए अपील प्रस्तुत की है। अपीलीय अधिकारी से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

4. इस प्रकरण को मौखिक सुनवाई के लिये दिनांक 14 जून 2006 को नियत किया गया था। अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी को उपस्थित होने के लिये नोटिस दिया गया था । सुनवाई के समय न तो अपीलकर्ता उपस्थित हुए और न ही कोई अधिकारी उपस्थित हुए। इस प्रकरण में अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी है वह प्रश्न–उत्तर एवं प्रेक्षा के रूप में है। इन प्रश्नों का उत्तर व प्रेक्षा का उत्तर देने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है। अपीलकर्ता यदि किसी अभिलेख का अवलोकन करना चाहे तो अवलोकन कर सकते हैं या किसी अभिलेख की प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र दे कर प्रति प्राप्त कर सकते हैं । अतः यह प्रकरण सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये यह अपील अस्वीकार की जाती है।

5. इस प्रकरण में नगर पालिक निगम के द्वारा जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, उससे यह परिलक्षित होता है कि लोक सूचना अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन नहीं किया है। यहां यह कहना आवश्यक है कि अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने का दायित्व लोक सूचना अधिकारी का है और यह उत्तरदायित्व किसी अन्य विभाग या अधिकारी पर नहीं डाला जा सकता, जब तक कि अन्य विभाग में अन्य लोक सूचना

अधिकारी, नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित नहीं किया गया हो और नियमानुसार प्रकरण का अन्तरण नहीं किया गया हो । इस प्रकार की कोई बात इस प्रकरण में परिलक्षित नहीं होती है । नगर पालिक निगम को निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में कार्यवाही के समय सूचना का अधिकार अधिनियम की धाराओं को ध्यान में रखकर कार्यवाही करें।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
21 जून 2006